न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 76/23 तारीख दायर 28/4/23

भोजा पुत्र नाथू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र लादू जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रामचन्द्र पुत्र राजू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भैरु पुत्र गोरु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कैलाश पुत्र लादू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24/5/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 113 पर अंकित आराजी संख्या 462/253, 464/257, 466/267 कुल किता 3 रकबा 0.7487 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित **मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 113 पर अंकित आराजी संख्या 462/253, 464/257, 466/267 कुल किता 3 रकबा 0.7487 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिख जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)